मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता ,परिवहन भत्ता स्वीकृत करना विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता ,परिवहन भत्ता स्वीकृत करना विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

1. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय एवं यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ही नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक होगा।
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त होना अनिवार्य है।
4. यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हो तो वह इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा।
5. नियमित छात्र/छात्रा किसी वर्ष अथवा सेमेस्टर में अनुर्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर वर्ष के लिये अध्ययन के शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्ता लिये पात्र नहीं होगा।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया–

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अथवा स्पर्श पोर्टल **(sparsh.samagra.gov.in)** से।
2	विगत वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर